

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी  
जिला-कोरिया (छ0ग0)



(07836-232721(कार्यालय) 232722(फैक्स) ई-मेल [lr-koriya.cg@gov.in](mailto:lr-koriya.cg@gov.in))

कमांक /1034/अ.भू.अ./2017,

बैकुण्ठपुर, दिनांक 26/08/2017

"प्रमाण पत्र"

अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 तथा संशोधित नियम 2012 से लागू हुआ है, के अन्तर्गत यह प्रमाणित किया जाता है कि कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग (भवन, सड़क) संभाग मनेन्द्रगढ़ के द्वारा तहसील बैकुण्ठपुर अनुभाग - बैकुण्ठपुर स्थित ग्राम - टेंगनी वनभूमि कम्पार्टमेंट नं. P- 466, 467, 511, 513 कुल रकबा 25.580 हे0 में आवेदित रकबा 10.352 हे0 एवं राजस्व वन भूमि खसरा नम्बर 55, 194, 196, 198, 199, 207 कुल रकबा 0.288 हे0 में आवेदित रकबा 0.117 हे0 में ग्राम अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन (चौड़ीकरण) हेतु प्रस्तावित वन भूमि एवं राजस्व वन भूमि ग्राम - टेंगनी कुल रकबा 10.469 हे0 वन भूमि एवं राजस्व वनभूमि में अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन (चौड़ीकरण) एवं खनन हेतु भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव की स्वीकृति के संबन्ध में अनुभाग वन अधिकार समिति बैकुण्ठपुर एवं ग्राम पंचायत पोटेडांड के द्वारा (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत इस वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रस्ताव के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया गया है।

उपरोक्त क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति को कोई भी वन अधिकार पत्र जारी नहीं किया गया है। और न ही वितरण किया जाना शेष है। इसलिए अमरपुर से चिरमिरी मार्ग उन्नयन (चौड़ीकरण) एवं खनन में कोई आपत्ति नहीं है।

  
कलेक्टर 25.8.2017  
COLLECTOR  
जिला कोरिया (छ0ग0)